of Calcutta Telephones have been lying out of service due to defaults in the maintenance of these exchanges and lack of maintenance staff;

(b) whether subscribers complaints have not been attended for months together;

(c) whether the office of the Area Manager (South), Calcutta Telephones has also received such complaints for the last three months or more and have also received several representations for refund of deposit money of the subscribers under various categories;

(d) whether the AM(S) of Calcutta Telephones has not been issuing refund cheques on account of withdrawal from temporary connections as well; and

(c) if so, what are the facts and details thereof and what corrective action is to be taken immediately?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) No, Sir. The service in general, provided by these Electronic Exchanges is satisfactory.

(b) No, Sir. Only in case of major cable breakdowns having multiple faults, the restoration is delayed to some extent.

(c) Yes, Sir. Some complaints have been received in the Office of Area Manager (South) in respect of faulty lines. Some requests for refund of security money have also been received.

(d) Refund cheques are being issued from time to time on receipt of requests from subscribers. 56 cheques were issued during last three months out of 61 cases.

(e) Does not arise.

Report of the social audit panel

1604. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the Social Audit Panel set up by Government has submitted its report on improvement of customer services in Telecom Sector;

(b) if not, what is the time frame by when this report would be ready; and

(c) whether Government will widely publicise the recommendations before examining and implementing them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir. The Social Audit Panel has submitted three action reports out of which two contain the recommendations for telecom sector.

(b) Does not arise in view of reply to (a) above.

(c) The gist of the findings of the Panel has already been laid on the Table of the House in reply to Rajya Sabha Unstarred Question No. 3411 on 23.3.1993.

विश्व बैंक द्वारा परियोजना ऋण

1605. श्री ईश दत्त यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक द्वारा भारत को वर्ष 1993–96 के दौरान हर वर्ष रियायती दर पर लगभग 1.3 बिलियन रुपये का ऋण दिये जाने पर सहमति दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है तथा किन-किन परियोजनाओं के लिए ऋण देने का प्रस्ताव हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) यह प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, जिसके माध्यम से विश्व बैंक का रियायती सहायता प्रदान की जाती हैं, के संसाधनों के दसवें पुनर्भरण से संबंधित अवधि के संदर्भ में है । इस अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से मिलने वाली रियायती सहायता की मात्रा के ब्यौरे तथा उन परियोजनाओं के ब्यौरे, जिनके लिए ऐसी सहायता प्राप्त करने हेतु अंतिम रूप से बातचीत की जाती है, को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) :

बैंक ऋण की अदायगी

1606. श्री ईश दत्त यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कई लोगों ने 20 लाख रुपए तथा इससे अधिक की राशि बैंकों से उधार ली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) कितने लोगों ने नियमित रूप से ऋण की अदायगी नहीं की है ; और

(घ) सरकार हैं इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) आंकड़ा सूचना प्रणाली से मांगे गए अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती हैं। अलबत्ता, मार्च 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में बकाया ऋण वाले खातों की कुल संख्या 636.64 लाख (अद्यतन उपलब्ध) थी और तदनुरूप अवधि के लिए सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में उन खातों की संख्या जिनमें ऋण की राशि अतिदेय हो गई, 166.08 लाख थी ।

(घ) ऋणकर्ता से बकाया राशि की वसूली करना एक सामान्य बैंकिंग क्रिया-कलाप होता है और सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में कोई अनुदेश जारी नहीं करते हैं । बहरहाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने अतिदेय राशियों को कम करने और वाणिज्यिक बैंकों के विभिन्न क्षेत्रों को उनके अग्रिमों के संबंध में वसूली संबंधी कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए भी विभिन्न उपाय किये हैं । कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

1. बैंकों पर एक और जरुरतमंदों और अर्थव्यवस्था के उत्पादात्मक क्षेत्रों के लिए बैंकों के दुर्लभ संसाधनों के पुनर्निवेश में सहायता करने और दूसरी ओर, ऋण-दाता बैंकों की लाभप्रदता और अर्थक्षमता में सुधार करने के विचार से एक अर्थक्षम वसूली प्रणाली के प्रारम्भ करने पर बल दिया गया ।

2. बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को बड़े अग्रिमों की निगरानी करने पर अपना व्यक्तिगत ध्यान देन को कहा गया हैं ।

3. अलग-अलग अग्रिमों के, उनकी कारगर निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजन हेतु, स्वास्थ्य को दर्शाने के लिए एक व्यापक और समान ग्रेडिंग प्रणाली प्रारम्भ करना ।

4. बड़े अवरुद्ध खातों की वसूली पर निगरानी रखना ।

5. जहां अग्रिमों को अवरुद्ध पाया जाता हैं, सुधारात्मक कार्रवाई करना ।

Seminar on black money

1607. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:
SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether at a seminar on Black money and Budget concessions on it